149

स्विधा नहीं है। एस॰टी॰सी॰, एस॰के॰ओ॰ के पण्डारण और वितरण के लिए मुख्य बंदरगाहों पर उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रहा है, बशर्ते कि उक्त प्रचालन आर्थिक रूप से त्र्यवहार्यहो।

## व्यापार में उदारीकरण की सुविधाओं का दुख्यद्योग

2794. श्री ओ॰पी॰ कोइली: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार के ध्यान में व्यापार में उदारीकरण सुविधाओं के दरुपयोग संबंधी अनेक मामले आए हैं:
  - (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
  - (ग) उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है:
- (घ) क्या यह भी सच है कि कुछ सरकारी नीतियां गृष्टीय हित से अधिक आयातकों एवं निर्यातकों के एक वर्ग के हितों का पोषण करती है:
  - (ङ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) इन नीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) कुछ ऐसी जिकायतें मिली है जिनमें मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के दुरुपयोग का आरोप लगाया गवा है। इन शिकायतों का संबंध बढ़ाकर बीजक देने और मूल्य की गलत घोषणा तथा निर्यातकों के प्रमाणिक होने के बारे में है। हार्ण/चांदी के आभूक्णों बाले सामानों में की निर्वात मंबर्धन और प्रतिपूर्ति योजना के उल्लंबन के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है। तथापि, उल्लंबन और दुरुपयोग के ये मामले कपर उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मामलों की कुल संख्या की तुलना में छोटी संख्या में हैं।

दह्मयोग का उल्लंबन की ऐसी शिकायतें मिलने पर इनकी तरंत जांच की जाती है और उसके पूर होने पर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों में दंढात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है जहां जंच से ऐसी कार्रवाई न्यूबसंगत सिद्ध हो जाती है। ऐसे मामलों में की जाने वाली कार्रवाई में लाइसेंस, आई ई कोड का निरुम्बन, अर्च दण्ड लगाया जाना इत्यादि शाभिल है। निर्यात दायिल को पूरा नहीं करने के मामले में उपयुक्त मल्य के विशेष आयात लाइसेंस व्यपस करने के अतिरिक्त अप्रयुक्त **आयादित** सामान पर स्थाज सहित सीमा शुल्क वसुली के लिए कार्रवाई की जाती है।

to Questions

(घ) से (च) नि**र्यात और आधा**त नीति के प्रावधान भावजनिक हित को पूरा करने के लिए लागू किए जाते हैं और निर्यातों को बढावा देना इनका उद्देश्य होता है। सरकार द्वारा लगातार प्रवास और एक्जिम नीति के उचित रूप से लाग किए जाने के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान 18 से 21% के बीच कर्षिक निर्यात वृद्धि प्राप्त करना संभव होता रहा है।

## Mishap in coal Mine

2795. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

- (a) whether there was a coal mine mishap recently in Dhanbad;
- (b) if so, the details thereof with number of casualties;
- (c) whether any comprehensive enquiry was conducted in the matter; and
- (d) if so, the findings and the action taken on the report?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Yes, Sir.

- (b) Due to unprecedented heavy rains ot the order of over 300 mm on the night of 26/27.9.1995, the water level of Katri River in Dhanbad district overflowed the three embankments constructed for protection of Gaslitand underground mine of Bharat Coking Coal Limited (BCCL) resulting in the trapping of 64 workers inside the mine. A number of other mines of BCCL were also flooded claiming 77 lives including 64 of those trapped inside the Gaslitand mine.
- (c) and (d) Under Section 24 of the Mines Act, 1952, the Government had constituted a Court of Inquiry headed by Justice (retd.) S.K. Mukherjee of Patna High Court to inquire into the causes and circumstances attending the accident which occurred at Gaslitand and other mines of BCCL on 26/27.9.1995. The Court of Inquiry is yet to submit its report.